(वाद संख्या–2267/12)

26.08.2019

परिवादी, रमिया देवी, स्वयं अनुपस्थित हैं। परिवादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता, श्री वाणी विनायक उपस्थित हैं।

विपक्षी श्री रमई राम, तत्कालीन मंत्री, बिहार सरकार अनुपस्थित हैं। विपक्षी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता, श्री संजय कुमार भारती, उपस्थित हैं।

उभय पक्ष को सुना।

मामला का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैः–

परिवादी, रमिया देवी, के पति, आनन्दु पासवान, विपक्षी श्री रमई राम, तत्कालीन मंत्री, बिहार सरकार के पटना स्थित आवास पर घरेलू नौकर के रूप में कार्य करते थे। इसी दौरान तत्कालीन मंत्री के मवेशी द्वारा अचानक प्रहार कर उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया गया। तत्कालीन मंत्री द्वारा उसके जख्मों का समुचित इलाज न करवाकर उसे अपने वाहन से उसके घर पहुँचा दिया गया, जहाँ उसने ''माँ जानकी अस्पताल, बैरिया, मुजफ्फरपुर'' में अपना चिकित्सा करवाया, जिसमें उसे काफी धन राशि खर्च करनी पड़ी। परिवादी का यह भी कथन है कि बाद में तत्कालीन मंत्री के सहयोगियों द्वारा प्रतिशोध स्वरूप उसके परिवार के कुछ सदस्यों के विरूद्ध मुसहरी थाना कांड संख्या 44/2012 संस्थित कर दिया गया।

परिवादी के परिवाद–पत्र पर जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर तथा वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर से प्रतिवेदन/जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। स्वयं विपक्षी भी अपने अधिवक्ता के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित हुए।

प्रस्तुत मामले में यह एक स्वीकृत तथ्य है कि परिवादी के पति, श्री रमई राम, तत्कालीन मंत्री, बिहार सरकार के घरेलू नौकर के रूप में कार्य करता था तथा इसी क्रम में एक मवेशी के प्रहार से, दुर्घटनावश, वह घायल हो गया। प्रस्तुत मामले में यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि मंत्री आवास में जख्मी होने पर उसका सर्वप्रथम पटना स्थित विधायक अस्पताल में चिकित्सा करवाया गया, जहाँ अच्छी चिकित्सा व्यवस्था न रहने के कारण उसे बेहतर चिकित्सा हेतु मुजफ्फरपुर के श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहाँ से दूसरे

दिन ही वह स्वेच्छा से चला गया। प्रस्तुत मामले में यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि घटना के छः दिनों के बाद, दिनांक 15.04.2012 को, परिवादी के पति द्वारा मुजफ्फरपुर के एक निजी चिकित्सालय में, चिकित्सा के दौरान, अहियापुर थाना के तत्कालीन अ0नि0, श्री अजय कुमार को इस आशय का फर्द बयान दिया गया कि उसका मजदूरी का कोई भी पैसा तत्कालीन मंत्री के यहाँ बकाया नहीं है तथा मंत्री के सरकारी आवास पर गाय को चारा देने के क्रम में, गाय द्वारा उसे अपने सींग से उठाकर पटक दिया गया तथा उसके शोर मचाने पर स्वयं तत्कालीन मंत्री तथा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा उसे मवेशी से गंभीर रूप से जख्मी होने से बचाया गया।

परिवादी के परिवाद पत्र पर जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया कि निजी अस्पताल से, जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के निर्देश पर, बिना इलाज का पैसा दिये, उसे पुलिस कर्मियों द्वारा मुक्त करा दिया गया। जिला पदाधिकारी का यह भी कथन है कि परिवादी की दो बेटियों की शादी हो चुकी है तथा संतानों में एक पुत्र भी है, जो बालिग है। जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने प्रतिवेदन में यह भी उल्लेखित किया गया है कि तत्कालीन मंत्री, श्री रमई राम के द्वारा परिवादी के पति श्री आनन्दु पासवान के साथ अमानवीय व्यवहार किये जाने की पुष्टि नहीं हुई है। जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर यह स्वीकार करते हैं कि परिवादी ने उनसे कहा है कि तत्कालीन मंत्री श्री रमई राम के एक सहयोगी द्वारा उसके पुत्र और दामाद वगैरह के विरूद्ध मुसहरी थाना कांड संख्या 44/2012 संस्थित कर दिया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोग को सूचित किया गया है कि मुसहरी थाना कांड संख्या 44/2012, दिनांक 20.04.2012 के अंतर्गत दो प्राथमिकी अभियुक्तों, मुक्तेश्वर प्रसाद सिंह उर्फ मुकेश सिंह व परशुराम पाठक तथा तीन अप्राथमिकी अभियुक्तों 1. राजू पासवान, 2. परिवादी के पुत्र तथा 3. परिवादी के भतीजा की संलिप्तता को सत्य पाया गया है। उक्त कांड वर्तमान में अन्वेषणाधीन है। वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर का यह भी कथन है कि उपरोक्त कांड की समीक्षा पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर द्वारा भी की गयी है तथा उन्होंने भी उपरोक्त पांचों अभियुक्तों की प्रस्तुत कांड में संलिप्तता को सत्य पाया है।

परिवादी व विपक्षी के कथनों तथा जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर व वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर के प्रतिवेदन से यह प्रतीत होता है कि परिवादी का पति, एक दुर्घटना में घायल हुए थे तथा विपक्षी, श्री रमई राम, तत्कालीन मंत्री, बिहार सरकार द्वारा उसे पटना में प्रारंभिक चिकित्सा करवाकर, परिवादी के पति की इच्छा पर, उसे श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर में इलाज हेतु भर्ती करवाया गया।

परिवादी के कथन से यह प्रतीत होता है कि उसे मात्र इस बात की शिकायत है कि उक्त घटना के कुछ दिनों के बाद तत्कालीन मंत्री के एक सहयोगी द्वारा उसके पुत्र व अन्य रिश्तेदार के विरूद्ध एक आपराधिक मामला दर्ज कर दिया गया, जो अनुचित है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मुसहरी थाना कांड सं0–44/2012, दिनांक–20.04.2012 की घटना को लेकर दो नामांकित अभियुक्तों के विरूद्ध संस्थित किया गया था जिसमें परिवादी के पति के परिवार के कोई सदस्य नामांकित अभियुक्त नहीं थे। अन्वेषण के क्रम में परिवादी के पति के परिवार के कुछ सदस्यों की संलिप्तता प्रकाश में आई है। उक्त मामला वर्तमान में अन्वेषणाधीन है तथा परिवादी, दंड प्रक्रिया संहिता में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार संबंधित न्यायालय में उपरोक्त कांड के मिथ्या होने या गलत अभियुक्तिकरण के संबंध में याचिका दाखिल कर वांछित अनुतोष की याचना कर सकते हैं।

अतः उक्त के आलोक में प्रस्तुत मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर बंद किया जाता है।

आज परिवादी के विद्वान अधिवक्ता, श्री वाणी विनायक तथा विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता, श्री संजय कुमार भारती के उपस्थिति में आदेश पारित किया गया है।

परिवादी को आज पारित आदेश की प्रति के साथ सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक